पत्र संख्या : 7ब/4700 यो० जल सं०–01/2017 302

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल/ईचा–गालूडीह;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 21-03-18

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष–4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना, उप शीर्ष–09–सुवर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45– निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49S470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017–18** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017–18** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

क्र०	मॉग सं०/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग, 4700 – मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80–सामान्य,/ 796 – जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना,	09–सुवर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०),/ 05– निर्माण, 45 – निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49S470080796090545	**5795.79314**

आवंटित राशि – ₹ संतावन करोड़ पंचानबे लाख उनासी हजार तीन सौ चौदह मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2017–18** में संशोधित बजट उपबंध रू० 9800.00 लाख (रूपये अंठानबे करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1362 दि० 09.05.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10–11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त** प्रशासनिक स्वीकृति एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित रशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 24 मार्च 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 302 रॉची, दिनांक :– 21-03-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला–खरसॉवा/चाईबासा/घाटशिला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 302 राँची, दिनांक :– 21-03-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(आर॰एस॰ तिग्गा) अभियंता प्रमुख	**(डी०के० तिवारी) अपर मुख्य सचिव**

पत्रांक :– 302 दिनांक 21-03-18 का अनुलग्नक परिशिष्ट–1

माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष – 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य

लघु शीर्ष – 796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष –09–सुवर्णरेखा परियोजना (ए॰आई॰बी॰पी॰)

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49S470080796090545

वित्तीय वर्ष 2017–18 में संशोधित बजट उपबंध रू० 9800.00 लाख (रूपये अंठानबे करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु वितरणी प्र० सं०–7, गालूडीह (JSRIRR087)	चांडिल कॉम्पलेक्स / ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा परियोजना	19/10–11 प्र॰स्वी॰, दिनांक–14.10.2010	661374.00	509128.20	200.00000	1000.00000	1200.00000	**107490**	
2	लघु वितरणी प्रमंडल सं॰–5, डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)						309.16000	1500.00000	1809.16000	**107493**	
3	लघु वितरणी प्र० सं०–3, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)						200.00000	103.00000	303.00000	**107495**	
4	लघु वितरणी प्र० सं०–10, घाटशिला (JSRIRR022)						1000.00000	2000.00000	3000.00000	**107496**	
5	सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR104)						100.00000	160.00000	260.00000	**107500**	
6	लघु वितरणी प्र० सं०–12, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR006)						300.00000	332.79314	632.79314	**107506**	आरबिट्रेशन अपील सं॰–11/2016 से संबंधित मामले में भुगतान हेतु
7	खरकई बाँध प्रमंडल सं॰–2, ईचा–चालियामा (SKLIRR025)						0.00000	100.00000	100.00000	**107509**	
8	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं॰–1, मुसाबनी, शिविर गालूडीह (JSRIRR039)						0.00000	300.00000	300.00000	**107510**	
9	खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर (SKLIRR032)						0.00000	300.00000	300.00000	**107512**	
						योग	**2109.16000**	**5795.79314**	**7904.95314**		

आवंटित राशि – ₹ संतावन करोड़ पंचानबे लाख उनासी हजार तीन सौ चौदह मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे) 21/03/18
विशेष सचिव

(आर॰एस॰ तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव